यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

सीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

संख्या :- 66/2022

**शीर्षक**

सुमित्रा पुत्री श्री शंकरलाल, उम्र 29 वर्ष, जाति कुम्हार(प्रजापति), निवासी ग्राम सुराना, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीया

**बनाम**

गोपाल पुत्र शंकरलाल, उम्र 27 वर्ष
जगदीश पुत्र शंकरलाल, उम्र 33 वर्ष
ममता देवी पुत्री श्री शंकरलाल, उम्र 23 वर्ष
रोहिताश पुत्र शंकरलाल, उम्र 25 वर्ष
समस्त जाति कुम्हार(प्रजापति), निवासी सुराना, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, मनोहरपुर, जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री टी.एम. वर्मा ,अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 15/2/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा 1331/126 रकबा 0.0350 है0, 1336/128 रकबा 0.1550 है0, 994 रकबा 0.2200 है0 कुल किता 3 रकबा 0.4100 है0 वाकै ग्राम सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। वाद पत्र में वर्णित उक्त विवादित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित आराजीयात भूमि खाता 521 में वादीया का खातेदारी हिस्सा 1/5 भाग निहित है तथा शेष हिस्सा 4/5 भाग मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की खातेदारी है। उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत. रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकास्मा नही किया गया है। विवादित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसका कि आज दिनांक तक भी बाई मीट्स एवं बाउन्ड्स तकास्मा नही हुआ है उक्त सहमति से बटवारे अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार का लगान अदा करते चले आ रहे है। वादीया विवादित आराजीयात में निहित स्वयं के हिस्से पर काबिज काश्त है तथा संयुक्त रूप से ही कृषि कार्य कर निरन्तर उपयोग उपभोग करती चली आ रहा है तथा वादीया राजस्व रिकार्ड में निहित अपने हिस्से अनुरूप लगातार राज्य सरकार को लगान अदा करती आ रही है। वादीया ने विवादित आराजीयात के अन्य सहखातेदारों अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से विवादित आराजीयात का तकास्मा किये जाने बाबत अनुरोध किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादीया को शीघ्र तकास्मा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा वादीया के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात का विधिवत तकास्मा नही करवाया गया। वादीया द्वारा दिनांक 15.09.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात कब्जे काश्त के आधार पर तकास्मा किये जाने बाबत निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 उग्र हो गये तथा वादीया को विवादित आराजीयात का विधिवत तकास्मा करने से साथ मना कर दिया तथा शामलाती भूमि मे आवासीय भूखण्डों में विभक्त करने, पुख्ता निर्माण कार्य करने, रोड वगै0 डालने, भूखण्डों का बेचान हस्तानान्तरण करने की धमकी दी गई। जिस कारण वादीया को उक्त वाद पत्र श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नही आने पर दिनांक 31.08.2022 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। दिनांक 28.03.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात भिजवाने हेतु निर्देशित किये जाने पर तहसीलदार शाहपुरा के पत्र कमांक/भू.अ./2022/3912 दिनांक 27.10.2022 के द्वारा बटवारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जिस पर वकील वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होना जाहिर करते हुये दावा अंतिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है। तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात सही पेश किये गये है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

. तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता
। हाल आराजी खसरा 1331/126 रकबा 0.0350 है0, 1336/128 रकबा 0.1550 है0, 994 रकबा 0.
200 है0 कुल किता 3 रकबा 0.4100 है0 वाकै ग्राम सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित
ातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

**ादिया सुमित्रा पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह के नाम खसरा नम्बर 994/1 रकबा .82 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।**
**तिवादी जगदीश, गोपाल , रोहिताश पि0 शंकरलाल, ममता पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह के नाम खसरा नम्बर 1331/126 रकबा 0.0350 है0, खसरा नम्बर 1336/128 रकबा 0.1550 है0, खसरा नम्बर 994रकबा 0.1380 है0 कुल किता 3 रकबा 0.3280 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

( मनमोहन मीना )
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

सीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
संख्या :– 66/2022

**शीर्षक**

सुमित्रा पुत्री श्री शंकरलाल, उम्र 29 वर्ष, जाति कुम्हार(प्रजापति), निवासी ग्राम सुराना, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीया

**बनाम**

गोपाल पुत्र शंकरलाल, उम्र 27 वर्ष
जगदीश पुत्र शंकरलाल, उम्र 33 वर्ष
ममता देवी पुत्री श्री शंकरलाल, उम्र 23 वर्ष
रोहिताश पुत्र शंकरलाल, उम्र 25 वर्ष
समस्त जाति कुम्हार(प्रजापति), निवासी सुराना, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, मनोहरपुर, जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री टी.एम. वर्मा ,अधिवक्ता वादिया

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

निर्णय दिनांक 15/2/23

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा 1331/126 रकबा 0.0350 है0, 1336/128 रकबा 0.1550 है0, 994 रकबा 0. 2200 है0 कुल किता 3 रकबा 0.4100 है0 वाकै ग्राम सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादिया सुमित्रा पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह के नाम खसरा नम्बर 994/1 रकबा 0.82 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।

प्रतिवादी जगदीश, गोपाल , रोहिताश पि0 शंकरलाल, ममता पुत्री शंकरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह के नाम खसरा नम्बर 1331/126 रकबा 0.0350 है0, खसरा नम्बर 1336/128 रकबा 0.1550 है0, खसरा नम्बर 994रकबा 0.1380 है0 कुल किता 3 रकबा 0.3280 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 15/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

( मनमोहन मीना )
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4. ...... रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |